

आदेश की तारीख और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
03.03.2020	<p style="text-align: center;">न्यायालय समाहर्ता, पूर्णिया</p> <p style="text-align: center;">उत्पाद वाद संख्या-103/2020</p> <p style="text-align: center;">राज्य</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p>1. रणवीर कुमार, पिता बिनोद महतो, सा०-कुल्लाखास, थाना-कसबा, जिला-पूर्णिया। (जप्त मोटर साइकिल सं०-BR11AD-5222 के स्वामी)</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। यह वाद कसबा थाना कांड सं०-292/2018 दिनांक 31.10.18 के आलोक में प्रारम्भ की गई है। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 694/हि०शा० दिनांक 19.02.2020 द्वारा राजसात का प्रस्ताव प्राप्त है। प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन की जाँच दिनांक 31.10.18 को सा०-तारानगर किच्चट टोला में अभियुक्त बिन्दा महतो के दरवाजे के पास की गई। जाँच के क्रम में जप्त वाहन के डिक्की से प्लास्टिक के बोतल में लगभग 03 लीटर देशी शराब पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।</p> <p>इस वाद में विपक्षी द्वारा समर्पित कारणपृच्छा का अवलोकन किया। उनका कथन है कि वाहन को सड़क किनारे लगाकर विपक्षी दवाई खरीदने के लिए गये थे। वाहन का डिक्की बंद नहीं था। किसी व्यक्ति के द्वारा डिक्की में शराब रखकर पुलिस को सूचना दी गई जिसके आलोक में पुलिस द्वारा वाहन जप्त कर लिया गया। जप्त वाहन असुरक्षित रूप से पड़ा हुआ है। अतएव वाहन मुक्त करने की कृपा की जाए।</p> <p>उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जप्त वाहन के डिक्की से प्लास्टिक के बोतल में लगभग 03 लीटर देशी शराब जप्त किया गया है जो जप्ती सूची में दर्ज है। इस प्रकार जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन में किया गया है। विपक्षी द्वारा समर्पित कारणपृच्छा स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली चीजों का वर्णन है, जिसकी उपधारा 'घ' में वर्णित है कि "उसे ढोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन।" स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-99 "विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित पूर्व में किये गये सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधान ही लागू होंगे और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किये जायेंगे।" ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत् प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को राजसात किया जाना आवश्यक है।</p> <p>विपक्षी से प्राप्त कारणपृच्छा, पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव,</p>	

उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता के अभिकथन तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है तथा जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन हेतु किया गया है। विपक्षी द्वारा समर्पित कारणपृच्छा संतोषप्रद नहीं है जिसे अस्वीकृत किया जाता है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बाबजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा०प्र०स०, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत जप्त मोटर साईकिल सं०-BR11AD-5222 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

विपक्षी यदि पारित आदेश से असंतुष्ट हैं तो अपीलीय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त, बिहार के न्यायालय में 90 (नब्बे) दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता,
पूर्णिया।

५३/०३/२०१८
समाहर्ता,
पूर्णिया।